242

निग – 223 – I – 16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–विदिशा

सुरेन्द्र पुत्र श्री जवाहर सिंह राजपूत,
निवासी ग्राम रहेकला, तहसील कुरवाई
जिला विदिशा (म.प्र.)

– आवेदक

विरूद्ध

1– बाबूलाल पुत्र श्री भुजबलसिंह राजपूत,
2– जवाहर सिंह पुत्र श्री खूबसिंह,
निवासीगण ग्राम रहेकला, तहसील कुरवाई
जिला विदिशा (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, कुरवई, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/अ–70 /2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुरवाई का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना ही जो आदेश एवं कार्यवाही की गयी है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुरवाई के समक्ष अनावेदक क्र. 1 द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 250 भू–राजस्व संहिता इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम रहेकला में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 225/1 रकवा 0.073 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा दिलाया जाये। जंबकि वास्तविकता यह है. कि आवेदक द्वारा अनावेदक की उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं दिया है। बल्कि अनावेदक द्वारा भूमि सर्वे क्रमाक 225/1 रकवा 0.074 हैक्टेयर की आड में भूमि सर्वे क्रमांक 225/2 रकवा साढे छः बीघा भूमि बगैर किसी जानकारी के उनके रकवें से अधिक भूमि का बंटाकन आदेश पूर्व में करवा लिया है और उक्त बंटाकन आदेश के पश्चात् तथाकथित सीमांकन कार्यवाही करवायी गयी है, जबकि उपरोक्त कार्यवाहियों में आवेदक को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गयी है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त कार्यवाहियॉ किसी भी स्थिति में वैधानिक मान्य नहीं की जा सकती है। उक्त कार्यवाही के आधार अनावेदक द्वारा धारा 250 का आवेदन पत्र दिया है, जो प्रचलन योग्य न होने से समाप्त किये जाने योग्यं है। इस संबंध में आवेदक की ओर से विधिवत आपत्ति की गयी थी किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा उपरोक्त आपत्तियो पर विचार किये बिना, जो आदेश किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

3

XXIX(a)-BR(H)-11

(242)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-223-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	